## जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 62वीं बैठक दिनांक 14 एवं 15-7-2004 को प्रात: 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 8, अति0 एजेण्डा सख्या 25 से 27 एवं 36 से 38 तक का वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा संख्या 9 से 19 अति0 एजेण्डा 22 से 24, 28 से 30 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एजेण्डा संख्या 20, 21 अति0 एजेण्डा संख्या 29, 33 से 35 वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान), अति0 एजेण्डा संख्या 32 उपायुक्त, जोन-5 द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री डी.आर.मीणा, कार्यवाहक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल चपलोत, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री गिरीराज अग्रवाल, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री आर.के. वर्मा, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री विरेन्द्रपाल तौमर, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती पुष्पा सत्यानी, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती नलिनी कटौतियां, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।
13. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
14. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1,जविप्रा, जयपुर।
15. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-4,जविप्रा, जयपुर।
16. श्री देवेन्द्र सैनी, उप नगर नियोजक, जोन-6,जविप्रा, जयपुर।
17. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7,जविप्रा, जयपुर।
18. श्री गोपाल सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-8,जविप्रा, जयपुर।
19. श्री एस.सी. मीणा, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
20. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

---

एजेण्डा विवरण:-

1. एजेण्डा सं0 1 :- निजी खातेदारी पटेल नगर योजना में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित योजना पृथ्वीराज नगर योजना का हिस्सा नही है तथा निजी विकासकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया गया।

अति0 आयुक्त पूर्व द्वारा पृथ्वीराज नगर क्षेत्र से बाहर अनुमोदित की गयी योजनाएं कितनी है तथा इन योजनाओं का अनुमोदन किन राज्यादेशों/ कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत किया गया है तथा राज्य सरकार से इन योजनाओं का अनुमोदन लिया गया है अथवा नही, की सम्पूर्ण जांच कर रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

2. एजेण्डा सं0 2 :- निजी खातेदारी सीताराम विहार योजना में भू उपयोग परिर्वतन के संबंध में।

उपायुक्त, जोन-8 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित योजना पृथ्वीराज योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है। समिति द्वारा सैद्वान्तिक रूप से भू उपयोग रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। भू उपयोग उपान्तरण नियमानुसार किया जावे तथा इसके पश्चात् पत्रावली पर योजना की स्वीकृति आयुक्त महोदय से करवा ली जाये।

जयपुर विकास प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 21-7-03 के निर्णयानुसार पी.आर.एन. जोन के रोड नेटवर्क को जविप्रा अधिनियम की धारा 44, धारा 39(6) तथा धारा 43 के अन्तर्गत अनुमोदन के कारण भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही होने की अनुशंसा की गयी थी। अत: अति. आयुक्त (पूर्व) द्वारा प्राधिकरण के निर्णय के अनुक्रम में प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जावे एवं राज्य सरकार से यदि स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में भू उपयोग उपान्तरण की आवश्यकता नही होगी।

3. एजेण्डा सं0 3 :- निजी खातेदारी भास्कर एनक्लेव, ग्राम धौलाई योजना में आंशिक भू उपयोग परिर्वतन के संबंध में।

उपायुक्त, जोन-8 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित योजना पृथ्वीराज योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है। समिति द्वारा सैद्वान्तिक रूप से भू उपयोग रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। भू उपयोग उपान्तरण नियमानुसार किया जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 21-7-03 के निर्णयानुसार पी.आर.एन. जोन के रोड नेटवर्क को जविप्रा अधिनियम की धारा 44, धारा 39(6) तथा धारा 43 के अन्तर्गत अनुमोदन के कारण भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही होने की अनुशंसा की गयी थी। अत: अति. आयुक्त (पूर्व) द्वारा प्राधिकरण के निर्णय के अनुक्रम में प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जावे एवं राज्य सरकार से यदि स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में भू उपयोग उपान्तरण की आवश्यकता नही होगी।

4. एजेण्डा सं0 4 :- निजी खातेदारी की योजना (पृथ्वीराज नगर क्षेत्र), भास्कर एनक्लेव द्वितीय योजना में भू उपयोग परिर्वतन के संबंध में।

उपायुक्त, जोन-8 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित योजना पृथ्वीराज योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है। समिति द्वारा सैद्वान्तिक रूप से भू उपयोग रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। भू उपयोग उपान्तरण नियमानुसार किया जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 21-7-03 के निर्णयानुसार पी.आर.एन. जोन के रोड नेटवर्क को जविप्रा अधिनियम की धारा 44, धारा 39(6) तथा धारा 43 के अन्तर्गत अनुमोदन के कारण भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने की अनुशंसा की गयी थी। अतः अति. आयुक्त (पूर्व) द्वारा प्राधिकरण के निर्णय के अनुक्रम में प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जावे एवं राज्य सरकार से यदि स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में भू उपयोग उपान्तरण की आवश्यकता नहीं होगी।

पूर्व में जो योजना बिना भू उपयोग उपान्तरण के आवासीय उपयोग लोअर यूज मानते हुए अनुमोदित की गयी है, उन सभी प्रकरणों की लिस्ट उपायुक्त जोन द्वारा तैयार किया जाकर आगामी बीपीसी (ले आउट) की बैठक में प्रस्तुत की जावें।

5. एजेण्डा सं0 5 :- पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल की योजना में सैक्टर प्लान की सडकों के निर्धारण बाबत (सैक्टर प्लान के संबंध में)।

जविप्रा द्वारा जो पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में रोड नेटवर्क पूर्व में अनुमोदित किया जा चुका है उसे ही क्रियान्वित किये जाने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल को लिखा जावे तथा आवासन मण्डल के अधिकारियों से विचार विमर्श निदेशक(आयोजना) द्वारा किया जावे। यदि आवश्यक हो तो निदेशक (आयोजना) की राय अनुसार रोड नेटवर्क को परिवर्तित किया जावे।

6. एजेण्डा सं0 6 :- अम्बेडकर गृ0नि0स0 समिति स्कीम नं0 2 में सैक्टर रोड के संबंध में।

समिति द्वारा बहुजन हित को दृष्टिगत रखते हुए सैक्टर रोड को पूर्व में लिये गये बीपीसी के निर्णयानुसार 60 फिट ही रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सडक की चौडाई 60 फिट रखे जाने से यदि कोई भूखण्ड प्रभावित होता है तो उसको यथासम्भव स्थल पर पुर्नस्थापित किया जाये।

7. एजेण्डा सं0 7 :- जयचामुण्डा गृ0नि0स0 समिति भूखण्ड सं0 ए-18, भूरा पटेल नगर के संबंध में।

समिति द्वारा संबंधित प्रकरण में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. खसरा नंबर 56 व 57 पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाया जावे कि जयचामुण्डा की भूमि कहां तक है एवं पूर्व में करवाये गये सर्वे को भी जांचा जावें।
2. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जोन में इकरारनामा आदि की सम्पूर्ण प्रशासनिक जांच की जावे।

3. किन-किन भूखण्डों के दो पट्टेधारी है उन समस्त भूखण्डधारियों की लिस्ट तैयार किया जाकर पंचाट से निर्णय करवाया जावे।
4. अनुमोदित प्लान में संशोधन की यदि आवश्यकता हो तो सम्पूर्ण प्रस्ताव लेकर बीपीसी में प्रस्तुत किया जावें।

8. एजेण्डा सं0 8 :- इंदिरा गृ0नि0स0 समिति नित्यानंद नगर ए, भूखण्ड सं0 ए-73 के संबंध में।

समिति द्वारा संबंधित प्रकरण में निर्देश दिये गये कि निदेशक(आयोजना), अति. आयुक्त(पश्चिम), संबंधित उपायुक्त व संबंधित उप नगर नियोजक विचार-विमर्श कर यह निर्णय लेंगे कि पूर्व में क्योंकर इन 5 भूखण्डों के संबंध में निर्णय नही लिया गया था। जिस पर अपनी राय व्यक्त कर आयुक्त, जविप्रा से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावें अन्यथा यदि आवश्यक हो तो भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

9. एजेण्डा सं0 9 :- अमृतपुरी विकास गृ0नि0स0स0 की योजना विप्र विहार अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, पूर्व में सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में अन्दर की सडको की चोडाई 30'-0'' दर्शायी थी तथा आवासीय क्षेत्रफल 65.47 प्रतिशत था। प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 11.12.02 में विचारार्थ किया गया था जिसमें सहकारी समिति से आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखते हुए संशोधित योजना मानचित्र लिए जाने का निर्णय लिया गया था। सहकारी समिति ने संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत किए है जिसमें अन्दर की 30' की सभी सड़को को 40'-0'' कर आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत दर्शाया हुआ है। प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया समिति ने विचार विमर्श कर एक समिति निदेशक, नगर आयोजना, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) व संबंधित उपायुक्त की गठित की जो सहकारी समिति के अध्यक्ष को बुलाकर यह सुनिश्चित करेगें कि सहकारी समिति के सभी सदस्यों को 40'-0'' सड़क के अनुसार संशोधित स्थान मानचित्र दिए है या नही। यह सुनिश्चित होने के पश्चात कि सहकारी समिति ने सभी सदस्यों को संशोधित साईट प्लान दे दिए है इसके पश्चात पत्रावली पर आयुक्त महोदय, की स्वीकृति ली जाकर योजना को स्वीकृत करने, समिति द्वारा सवाई चक भूमि में भूखण्ड सृजित किए है इसलिए इस भूमि की राशी सहकारी समिति से वसूल करने तथा भूखण्ड संख्या 86 में सैटबैक छोडने के पश्चात आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध न होने के कारण इस भूखण्ड को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. एजेण्डा सं. 10 :- हथरोई गढी गृ0नि0स0समिति का योजना कृष्णापुरी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पर निम्न शर्तो के साथ योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

1. जोन की रिपोर्ट के अनुसार योजना में 753 व0ग0 भूमि अधिक है इसलिए इस भूमि की राशी ली जावे।

2. योजना में कुल 30 भूखण्डों में से 20 निर्मित है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता दिए जाने का निर्णय लिया गया।
3. योजना में भूखण्ड संख्या 15, 16, 21, 22, 24, 25, 30 के उपर से विधुत लाईन गुजर रही है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
4. सड़को की चोडाई कम से कम 30'-0'' की जावे।

11. एजेण्डा सं. 11 :- निजी खातेदारी की भूमि ग्राम दुर्गापुरा के ख0 नं0 205, 206, 207, 211 व 216 की 1299 व0ग0 भूमि के आवासीय रूपान्तरण के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इनकमटैक्स कॉलोनी योजना में दर्शायी खातेदार की भूमि व आर्य विहार की भूमि के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए भूमि की स्वामित्व संबंधी जांच दुबारा की जावे कि खातेदार की भूमि व आर्य विहार की भूमि इनकमटैक्स कॉलोनी की योजना में शामिल है, या नही, इसकी जांच के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

12. एजेण्डा सं. 12 :- भूखण्ड संख्या 102, डाक्टर्स कॉलोनी, गोपालपुरा गृ0नि0स0स0 की स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि 200'-0'' चोडी सड़क के पश्चात उपलब्ध 27'-0'' चोडे भूखण्ड में सामने 20'-0'' का सैटबैक छोडने के पश्चात भूखण्ड में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नही होता है इसलिए भूखण्ड को स्वीकृत नही किया जावे तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 16.10.03 के संबंध में निदेशक(विधि) से राय ली जावे कि इस ट्रिब्यूनल के निर्णय के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जावे या नही। निदेशक(विधि) की राय के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जावे।

13. एजेण्डा सं. 13 :- अग्रवाल कुंज, तह0 सांगानेर की बृजविहार(विस्तार) के ख0 नं0 235/423 की योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत बृजविहार विस्तार योजना में 60'-0'' चोडी सड़क व सुविधा क्षेत्र की भूमि प्रार्थी की है, या नही। सहकारी समिति की योजना बृज विहार विस्तार की जांच पुनः कि जाने के पश्चात भूमि की स्वामित्व की जांच पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

14. एजेण्डा सं. 14 :- खोनागोरियान रेल्वे फाटक से रामनगरिया महल रोड तक की सडक की चोडाई 160'-0'' से 80'-0'' किए जाने हेतु।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चन्द्रगुप्त नगर, पवन विहार में यह सडक 160' रखते हुए स्वीकृत की गई थी। तथा आन्नद विहार योजना मास्टर विकास योजना-2011 से बनने से पूर्व स्वीकृत की गई थी।जिसमें इस सडक की

चौडाई 80' स्वीकृत है। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि इस सडक के दोनो ओर निर्मित भवनों एवं कम्पाउन्ड वाल सहित रेल्वे फाटक से महल रोड तक का सर्वे करवाया जावे तत्पश्चात प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

15. एजेण्डा सं. 15 :- विश्व विद्यालय शिक्षक आवास समिति की योजना विद्या विहार के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. समिति की योजना की भूमि का भू उपयोग परिवर्तन पहले के मास्टर प्लान के समय ग्रीन बेल्ट से आवासीय में किया गया था परन्तु नये मास्टर प्लान में इसे इकोलोजिकल दर्शाया है अतः निदेशक (विधी) की राय प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. योजना के सामने 160'-0'' चोडी सड़क के पूर्व की ओर के भूखण्ड जो लो लाइंग क्षेत्र में है इसलिए निदेशक नगर आयोजना के सुझाव के अनुसार शिक्षक आवासीय समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिए जावे। संशोधित योजना मानचित्र निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होने पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति ली जाकर योजना को स्वीकृत किया जावे।

16. एजेण्डा सं. 16 :- पामकोर्ट योजना में सैटबैक परिवर्तन के संबंध में।

पामकोर्ट योजना के भूखण्ड संख्या 10, 12, 13 एवं 30, 31 में सैटबैक में शिथिलता दिए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया विचार विमर्श पश्चात निम्न भूखण्डों के सैटबैक में शिथिलता देते हुए निम्न सैटबैक स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

| | भू0 सं0 30 व 31 | | भू0 सं0 10 | | भू0 सं0 12 | | भू0 सं0 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सैटबैक | स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैटबैक | शिथिलता दिए जाने पर सैटबैक | स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैटबैक | शिथिलता दिए जाने पर सैटबैक | स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैटबैक | शिथिलता दिए जाने पर सैटबैक | स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैटबैक | शिथिलता दिए जाने पर सैटबैक |
| सामने | 7.5 मीटर | 7.5 मीटर | 7.5 मीटर | 7.5 मीटर | 9.0 मीटर | 9.0 मीटर | 9.0 मीटर | 9.0 मीटर |
| सामने/ साईड | 7.5 मीटर | 4.5 मीटर | 9.0 मीटर | 7.5 मीटर | 9.0 मीटर | 7.5 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर |
| साईड | 3.0 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर |
| पीछे | 3.0 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर | 4.5 मीटर | 3.0 मीटर |

17. एजेण्डा सं0 17:- राजस्व ग्राम बगराना तहसील जयपुर के खसरा नं. 675/2, 674/2, 674/3, 675/1 कुल किता चार रकबा

74 बीघा 21 बिस्वा भूमि पर सृजित निजी खातेदारों की आवासीय योजना ''अग्रसेन नगर'', जो कि आगरा रोड़ पर ढूंढ नदी से पहले सडक के दक्षिण दिशा में स्थित है योजना भूमि का भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने हेतु।

एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श कर प्रश्नगत अग्रसेन नगर योजना की भूमि का भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने का सर्व सम्पत्ति से निर्णय लिया गया तथा प्रकरण को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्रस्तावित भू उपयोग उपान्तरण किये जाने का अनुमोदन (Approval) हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाये जानें का निर्णय लिया गया।

18. एजेण्डा सं0 18 :- राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के ख. न. 119, 122, 123 मिन, 125, 136, 138, 142, 121 मिन, 127 मिन, 128, 129, 229 मिन, 120 मिन, 140, 139, 146, 150 मिन, 174/2/62, 134 मिन, 135 मिन, 132, 133 मिन, 137, 141, 143 मिन रकबा 98463.75 व.ग. भूमि (जो कि सिरसी बिन्दायका रोड़ पर स्थित है) में से मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर की प्रस्तावित 200 फीट चौडाई की सड़क हेतु 3168.88 व.ग. भूमि एवं उक्त सड़क के प्रस्तावित मार्गाधिकार पश्चात् 50'-50' फीट (प्रत्येक ओर) की प्रस्तावित प्लानटेशन कोरीडोर हेतु 4544.77 व.ग.भूमि इस प्रकार कुल 7713.65 व.ग. (3168.88+4544.77) भूमि कम करने के पश्चात शेष 90750.10 व.ग. भूमि का भू उपयोग उपान्तरण रिक्रेशनल (पार्क, ओपन स्पेस एवं खेल के मैदान) से आवासीय किये जाने हेतु।

एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात सर्व सम्पत्ति से प्रश्नगत प्रस्तावित आवासीय योजना भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रेशनल से आवासीय किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि एम.पी.डी. 2011 जयपुर की प्रस्तावित 200 फीट चौडाई की सडक के मार्गाधिकार क्षेत्र से प्रभावित 3168.88 व.ग. भूमि आवेदक संस्था नि:शुल्क जविप्रा को समर्पित करेगी तथा 4544.77 व.ग. भूमि प्रस्तावित प्लान्टेशन कोरीडोर हेतु खुली (Kept open) रखेगी।

प्रश्नगत प्रकरण को आयुक्त, जविप्रा से अनुमति प्राप्त कर बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक आयोजित होने पर प्रस्तावित भू उपयोग उपान्तरण किये जाने की स्वीकृति बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक से ले लिये जाने की शर्त पर प्रकरण राज्य सरकार को दिनांक 31.3.04 को प्रेषित कर दिया गया था।

अत: प्रकरण की राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाने की पूर्व की गई कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex-Post-Facto-) स्वीकृति प्रदान की गई।

साथ ही बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 14.07.2004 द्वारा प्रकरण में पूर्व में की गई कार्योत्तर की स्वीकृति प्रदान की सूचना राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

19. एजेण्डा सं0 19:- निजी खातेदारी की राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील जयपुर के ख.न. 98, 242/1 रकबा 25 बीघा पर प्रस्तावित गार्ड रेजीडेन्सी आवासीय योजना की भूमि में से एम.डी.पी.2011 जयपुर को प्रस्तावित 200 फीट चौडाई की सडक हेतु 21297.21 व.ग. भूमि काटने एवं सडक मध्य से (प्रत्येक ओर) 50 फीट की प्रस्तावित प्लान्टेशन कोरीडोर हेतु 6055.55 व.ग. भूमि खुली (Kept open) आरक्षित रखने के पश्चात शेष 48272.24 व.ग. भूमि का भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने हेतु।

एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद विचार-विमर्श पश्चात प्रश्नगत प्रस्तावित गार्डन रेजीडेन्स योजना भूमि का प्रस्तावित भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि आवेदक संस्था एम.डी.पी. 2011 जयपुर की प्रस्तावित 200 फीट सडक के प्रस्तावित मार्गाधिकार क्षेत्र से प्रभावित 21297.21 वर्ग गज भूमि नि:शुल्क जविप्रा को समर्पित करगी एवं प्रस्तावित प्लाटंटेशन कोरीडोर हेतु 6055.55 व.ग. भूमि खुली (Open Kept) सुरक्षित रखेगी।

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को जविप्रा अधिनियम की धारा 25(2) के तहत स्वीकृति (Approval) बाबत प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जावे।

20. एजेण्डा सं0 20:- भू.सं. 5, योजना सं. 1, दी राजहंस को. हा. सो. लि. के अनुमोदन के संबंध मे।( जोन 2 बी)

जोन द्वारा भूखण्ड में से गुजर रही 11 केवी. एच टी लाईन से प्रभावित क्षेत्र (दोनों ओर 15-15 फीट) को छोडकर भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल 65.00 व.ग. का नियमन कर दिनांक 15.4.2004 को पट्टा विलेख जारी किया गया है, अत: समिति द्वारा प्रकरण में कार्योतर स्वीकृति दी गई।

21. एजेण्डा सं. 21:- सुभाष सिंधी हा.को. सो.लि. की योजना जय अम्बे नगर के भू.सं. ए-73ए, ए-78 से ए-81 के अनुमोदन के संबंध मे।(जोन-1)

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया, बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का मौका दिया गया, दोनों पक्षों में एजेण्डा में वर्णित बिन्दुओं पर आम सहमति नही होने के कारण समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

उपायुक्त, जोन द्वारा सहकारी समिति एवं खातेदार द्वारा किये गये एग्रीमेंट का विस्तार से अध्ययन कर यह पता किया जावे कि खातेदार द्वारा स्वयं हेतु कितनी भूमि रखी गई। तथा मौके पर अब खातेदार कितनी भूमि पर काबिज है?

यदि खातेदार एग्रीमेंट से अधिक या कम भूमि पर काबिज है तो वह भूमि किस ओर है?

खातेदारों को स्वयं के मकानों को आने जाने हेतु रास्ता कहाँ से उपलब्ध है।यदि एग्रीमेंट में खातेदार की भूमि से लगते हुए कोई रास्ता छोडा गया है, तो वह कितनी चौडाई का एवं किस ओर छोडा गया है?

अत: उपरोक्तानुसार जाँच कर रास्ते के बारे में उचित निर्णय लिया जाकर अति0 आयुक्त (पश्चिम) द्वारा उक्त प्रकरण का निष्पादन किया जावें।

22. अति0 एजेन्डा सं0 22:- राजस्व ग्राम टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर के ख.न. 90, 124, 125, 126, 123/315 एवं 124/327 किता 6 रकबा 2.05 हैक्टेयर निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रस्तावित ग्रीन वेली नामक आवासीय योजना की भूमि का भू उपयोग बस टर्मिनल से आवासीय किये जाने हेतु।

वाद विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को स्थगित रखते हुए प्रश्नगत भूमि के प्रस्तावित भू उपयोग उपान्तरण हेतु जारी प्रस्तावित अधिसूचना (जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) के तहत) के प्रकाशन पश्चात प्राप्त दोनों आपत्तियों के आपत्तिकर्ताओं को जविप्रा कार्यालय में बुलवाकर आयुक्त, जविप्रा के समक्ष सुनने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त, जव्रिपा द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं को सुनने के पश्चात उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

23. अति0 एजेन्डा सं0 23:- तोपखाना देश गृ0 निर्माण सहकारी लि0 की योजना माथुर वैश्य नगर, टोंक रोड जयपुर के भू0 सं0 19 का पट्टा जारी करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार विर्मश पश्चात निर्णय लिया कि वैश्य नगर प्रथम व वैश्य नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 19 के पास लिंक करने वाली सडक को 30'-0'' चोडी सडक रखते हुए शेष भूखण्ड को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। चूकि: प्रार्थी की भूमि 17'-0'' चोडी भूपट्टी सडक में चली जाती है इसलिए इस ओर का सैटबैक शून्य किए जाने का भी निर्णय लिया गया ताकि भूखण्ड में आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध हो सके।

24. अति0 एजेन्डा सं0 24:- लक्ष्मी गृ0नि0स0स0 की योजना कैलाश पुरी एयरपोर्ट एरिया के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि समिति ने सैक्टर प्लान में दर्शायी 60'-0'' चोडी सड़क के अनुरूप योजना में सड़क नही दर्शायी है। इसलिए सैक्टर प्लान में दर्शायी 60'-0'' चोडी सडक के अनुसार प्रस्तावित योजना में 60'-0'' सडक दर्शाते हुए समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिए जावे तथा सवाई चक भूमि की राशी समिति से लिए जाने का निर्णय लिया गया।

25. अति0 एजेण्डा सं0 25 :- चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या एफ-7/123 के बदले इसी योजना में अन्य सैक्टर में भूखण्ड का आवंटन करने हेतु।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

26. अति0 एजेण्डा सं0 26 :- 400 के.वी., 220 के.वी. लाईनों से योजनाओं में दूरी रखने के संबंध में।

प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भविष्य में अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं में पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप दूरी रखी जावें। इसके अतिरिक्त पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित दूरियों के संबंध में विद्युत विभाग के विशेषज्ञों से राय भी ली जावें कि प्रस्तावित दूरी रखी जानी आवश्यक है अथवा नहीं तथा यह भी राय मांगी जावे कि पूर्व में जो योजनाएं स्वीकृत की गयी है उनमे रखी गयी दूरी पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो प्रकरणों को बीपीसी(एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। 400 के.वी. एवं 200 के.वी. की लाईनों के लिए पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा जो दूरी प्रस्तावित की गयी है उसके संबंध में समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावें।

27. अति0 एजेण्डा सं0 27 :- मोती भवन गृ0नि0स0 समिति की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड संख्या ए-29 बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ए-29 से ए-31 तक के ब्लौक को पुनः संशोधित कर बराबर बराबर भूमि सडक की चौडाई के लिए काटी जावे एवं यदि सैट बैक में किसी भी प्रकार के रिलेक्शेसन की आवश्यकता हो तो जोन स्तर पर सभी भूखण्डधारियों को सुना जाकर सैट बैक रिलेक्शेसन दिया जावे।

28. अति0 एजेन्डा सं0 28:- लक्ष्मी नगर योजना (लक्ष्मी गृह निर्माण स0स0लि0) के भूखण्ड संख्या 80 से 84 के मध्य के विवाद में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न अनुसार निर्णय लिये गये।

भूखण्ड संख्या 80 से 84 के मध्य

1. मौके की स्थिती के अनुरूप योजना मानचित्र को संशोधित किया जावे।
2. प्रकरण में संशोधन से पूर्व निदेशक विधिक की राय प्राप्त की जावे।
3. अधिकरण में प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण के प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे।
4. प्रकरण में योजना स्वीकृति के सम्पर्क तत्कालीन उपायुक्त जोन व सहायक नगर नियोजन व सर्वे कार्य से संबंधितो को चार्जशीट दी जावे।

मौके की वस्तु स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में चल रहे प्रकरण में अवगत करवाया जावे।

29. अति0 एजेन्डा सं0 29:- शिव आफिसर्स कालोनी ''सी'' ब्लॉक में भूखण्ड संख्या सी-70 में सैटबैक कम करने बाबत।

प्रकरण उपायुक्त द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड सं0 सी-70 एवं इस भूखण्ड में सैटबैक परिर्वतन के कारण अन्य प्रभावित भूखण्डों में भी सैटबैक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

30. अति0 एजेण्डा सं. 30:- पूर्व में खसरा सीमा अंकन में गलत रूप से निजी खातेदारी को सिवायचक दर्शाने से कतिपय भूखण्ड बीपीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। उनके अनुमोदन के संबंध में। शिवशंकर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. की योजना नीर सागर बी, भांकरोटा, खसरा नं. 566 रक्बा 0.24 हे.(जोन 11ए)

बीपीसी एलपी के अध्यक्ष अनुमोदन से जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अति0 आयुक्त (पूर्व) जांच कर यह सुनिद्दिचत करेगे कि प्रकरण में प्रस्तावित भूखण्डों की भूमि निजी खातेदारी में है या सिवायचक है। यदि निजी खातेदारी में है तो आयुक्त महोदय से अनुमोदन करवायेगें तथा पूर्व में किसकी गलती रही उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगें। यदि सिवायचक हो तो एजेण्डा निरस्त किया जावें।

31. अति0 एजेण्डा सं. 31:- महालक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना महालक्ष्मी नगर (जे एल एन मार्ग) के अनुमोदन के संबंध में।

इस योजना के संबंध में आयुक्त जविप्रा के स्तर पर समिति में आयोजित बैठक दि. 30.6.2000 में लिए गये निर्णय का अनुमोदन किया गया उक्त निर्णय के अनुसरण में विचार विमर्श कर महालक्ष्मी गृ.नि.स.स. की आवासीय योजना महालक्ष्मी नगर के प्रस्तुत मानचित्रों पर निदेशक (आयोजना) द्वारा परीक्षण किये जाने के पश्चात् प्रकरण की मूल पत्रावली पर योजना का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना के संशोधित डिमार्केशन प्लान प्रस्तुत करने पर उसकी पुष्ठि जोनल अभियन्ता 1 से कराकर जारी किया जावेगा।

अणुवृत संस्था के सामने स्थित सडक की चौडाई 60' के स्थान पर 40' किये जाने के कारण प्राप्त 20' ग 230' माप की भू-पट्टी को जविप्रा भूमि मानते हुए इस भू-पट्टी को पार्किग व अन्य सडक सुविधाओं हेतु काम में लिए जाने का निर्णय लिया गया।

लक्ष्मी नारायण पुरी गृ.नि.स.स. की योजना विजय नगर में स्थित सुविधा क्षेत्र के साथ लगते हुए भू.स. 44 के आकार को व्यवहारिक लगभग आयताकार आकृति देने हेतु इस भू. के कुछ भाग में सुविधा क्षेत्र में से कुछ क्षेत्रफल भाग सम्मिलित करने एवं इस भूखण्ड का कुछ क्षेत्रफल भाग सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया जिसमें कि सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल पूर्व अनुमोदित विजय नगर योजना में दर्शाये क्षेत्रफल के समान भी रह सके।

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दि. 16.2.02 के अनुसरण में योजना के नियमन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

32. अति0 एजेण्डा सं0 32:- नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गायत्री नगर- ''बी'' ग्राम झालाना चौड़ के भूखण्ड संख्या 257 के नियमन बाबत्।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त द्वारा बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव, नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम झालाना चौड़ के खसरा नम्बर 62 रकबा 2.07 का सुपर इमोजिशन गलत है। अत: इस खसरा की पुन: पैमाईश कर खसरा सुपर इमोजिशन किया जावे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि व सुपर इमोजिशन का कार्य नही हो जाता तब तक नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गायत्री नगर - ''बी'' के प्रभावित भूखण्डों व मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं0-8 के भूखण्डों की लीजडीड जारी नही की जावें।

पुन: पैमाईश एवं खसरा सुपर इमोजिशन तहसीलदार सांगानेर, हल्का पटवारी एवं दोनों गृह निर्माण समिति के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में अतिशीघ्र करवायी जावे।

33. अति0 एजेण्डा सं. 33:- सेक्टर प्लॉन 38,39,40,41 व 42 का अनुमोदन के संबंध मे। (जोन 8,11)

समिति द्वारा प्राप्त एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श पश्चात् उक्त सेक्टर प्लानों के अनुमोदन के संबंध में पूर्व बी पी सी ।। (ले आउट प्लॉन) 51वी बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में -

(1) 30 मी. चौडी सडक सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के समान्तर (दक्षिण) मालपुरा रोड से पृथ्वी राज नगर (दक्षिणी भाग) के सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 30 मी. चौडी सडक तक जोडा गया। जिसे सेक्टर प्लान में दर्शाते हुए पुष्टि की गई।

(2) सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के समानान्तर (सेक्टर 40 व 41) 60 मी. चौडी सडक को यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।

(3) माता आनन्दमयी ट्रस्ट को भूमि आवंटन से प्रभावित 80' रोड का एलायमेंट संशोधित कर अनुमोदन किया गया ।

(4) सेक्टर 41 व 42 से गुजर रही 132 केवी. एच टी लाईन के नीचे प्रस्तावित 24 मी. सडक के प्रस्ताव को यथावत रखा गया।

उक्त सेक्टर प्लानों को आपत्ति/ सुझाव हेतु प्रकाशित किया जावे।

34. अति0 एजेण्डा सं. 34:- दी कृष्णा गृ.नि.स.स. की स्कीम नं. 9 के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

100' चौडी हवा सडक पर अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियाँ होने के कारण एवं उनसे जुडे भूखण्डों का अनुमोदन नही किया गया।

योजना के उत्तरी भाग में 80' फीट सेक्टर रोड को मौके पर उपलब्धता के अनुसार तथा न्यूनतम चौडाई 40' रखे जाने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान में निर्मित आर ओ बी के उत्तर की ओर आर ओ बी के समान्तर 40' भूमि छोडी जावें लेकिन समीपस्थ भूखण्ड स. 10 से प्राप्त भूमि जो प्राधिकरण द्वारा आर ओ बी बनाते समय समझौते के आधार पर प्राप्त की है तो आर ओ बी के समान्तर 40' के स्थान पर 35' रखी जाये, यदि भूमि अवाप्ति के अधीन प्राप्त की हो तो आर ओ बी के समान्तर 40' छोडे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार भू.सं. 2 का नियमन किया जावे।

योजना की आंतरिक सडक नियमानुसार 30' रखी जाये।

योजना में भूखण्ड सं.1,2,11 व 12 को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

35. अति0 एजेण्डा सं. 35:- श्रीमति लीला शर्मा पत्नि श्री सुंदर लाल शर्मा, 795, सिविल लाईन जयपुर श्री रविशंकर शर्मा पुत्र श्री हरद्धारी लाल शर्मा, ग्राम- सुदर्शनपुरा, खसरा नं. 63, सेक्टर नं. 7, निजी खातेदार की भूमि के नियमन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया, बैठक में निम्न निर्णय लिया गया।

(1) रेल्वे लाईन के समानान्तर 100' फीट चौडी सडक के बारे में पूर्व में बी पी सी (ले आउट) की 16वी बैठक दि. 23.4.02 में लिये गये निर्णय अनुसार ही इस प्रकरण में रेल्वे की सीमा के पश्चात् भूखण्डों का नियमन किया जावें।

(2) सिविल लाईन सर्किल से रेल्वे लाईन की ओर आने वाली मुख्य सडक की चौडाई समाचार पत्र में प्रकाशित सेक्टर नं. 7 के सेक्टर प्लान अनुसार 40' चौडी रखी जायें।

(3) भूखण्डों के पश्चिम दिशा में स्थित आंतरिक सडक की चौडाई मौके पर उपलब्ध 15' के अनुसार रखकर नियमन किया जावें।

36. अति0 एजेण्डा सं0 36 :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी सागर बाबत।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का कुछ भाग न्यायिक वाद से लम्बित है अत: उस भाग को हटाते हुए शेष भाग के अनुमोदन के प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जावे तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावें।

37. अति0 एजेण्डा सं0 37 :- अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हीरानगर की एक बीघा भूमि के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि खातेदार की एक बीघा भूमि पर अनुमोदित किये गये 10 भूखण्डों को निरस्त किया जावे तथा तीन भूखण्डों में जारी की गयी लीजडीडों को भी निरस्त किया जावे। साथ ही यह भी उपायुक्त जोन द्वारा जांच की जावे कि

पूर्व में लिये गये बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय के अनुक्रम में एक बीघा भूमि को चिन्हित किये जाने में 10 वर्ष का समय क्योंकर लगा।

38. अति0 एजेण्डा सं0 38 :- पृथ्वीराज नगर योजना के रोड नेटवर्क प्लान के संबंध में।

प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 31-7-2003 में लिये गये निर्णयानुसार अति.आयुक्त(पूर्व) द्वारा पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही होने बाबत स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु पत्र भिजवाया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर तदानुसार ही कार्यवाही की जावें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-112
दिनांक :- 29/7/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर